भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2085
सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 (शक)

विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों की स्थिति

2085. श्री दयानिधि मारन:
श्री टी.एम. सेल्वागणपति:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश भर में मेडिकल सेल्स प्रतिनिधियों की सेवा और कार्य स्थितियों के संबंध में सरकार और फार्मास्युटिकल उद्योग के प्रतिनिधियों, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अखिल भारतीय विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी महासंघ के बीच दिनांक 10.08.2017 को औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त बैठक में चिकित्सा प्रतिनिधियों की सेवा और कार्य स्थितियों में सुधार के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया गया था और इस संबंध में सभी हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 12 के अंतर्गत विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों के लिए कोई नियम अभी तक नहीं बनाए गए हैं, जैसा कि उक्त बैठक में सहमति हुई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 को चार श्रम संहिताओं में शामिल कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा बडे पैमाने पर अपने कर्मचारियों की छंटनी को रोकने तथा फार्मास्युटिकल उद्योग में विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार श्रम संहिता को समाप्त करने तथा विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 को बहाल करने की मांग पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976, फार्मास्युटिकल उद्योग सहित विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तों को विनियमित करता है, जिसे राज्य सरकार के माध्यम से लागू किया जाता है। इन कर्मचारियों की कार्य स्थितियों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 8 अगस्त, 2017 को माननीय श्रम और

जारी...2/-

रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में एक औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

उक्त अधिनियम को अब व्यवसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (ओएसएच और डब्ल्यूसी) संहिता 2020 में शामिल कर लिया गया है, जिसे सितंबर, 2020 में अधिसूचित किया गया था। ओएसएच और डब्ल्यूसी के लिए मसौदा नियम दिनांक 19 नवंबर, 2020 को पूर्व-प्रकाशित किए गए थे।

विक्रय संवर्द्धन कर्मचारियों को अब ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड और औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 दोनों के तहत 'कामगारों' की परिभाषा में शामिल किया गया है। औद्योगिक संबंध संहिता के लिए मसौदा नियम दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 को पूर्व-प्रकाशित किए गए थे।

****